हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

सायलान भूमिहीन हो जायेगें। सायलान गै0सा0 सं0–1 के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करने पर लड़ाई झगड़े वविवाद बढ़ेगा, जिससे अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होकर मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। गै0सा0 सं0–1 सायलान को उक्त वर्णित आराजी देना नहीं चाहते है एवं उनकी पैतृक पुश्तैनी आराजी से वंचित करने की नियत से गै0सा0 सं0–1 उक्त वर्णित आराजी को अब किसी भी समय पैतृक पुश्तैनी सम्पति को मात्र नाम दर्ज होने के आधार पर अजनबी केता को बेचान करने को आमादा है। गै0सा0 सं0–1 ने सायलान को एलानिया धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजी में पांव भी नहीं रखे अन्यथा उसे जान से खत्म कर दूंगा एवं उक्त वर्णित आराजी को अन्य हस्तान्तरण बेचान कर दूंगा एवं सायलान को एक इंच भी जमीन नहीं दूंगा। यदि गै0सा0 सं0–1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो सायलान भूमिहीन हो जायेगे एवं अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगे एवं सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं शपथ पत्र व मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गै0सा0 ने जबरदस्ती सायलान की पैतृक पुश्तैनी व हक हिस्से व अधिकार की भूमि अजनबी केता को रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण कर दिया तो सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। इस प्रकार वकील मय सायला ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा–खेड़ा महाराजपुरा, तहसील–जैतारण में स्थित उक्त विवादित भूमि में सायल के हिस्से की पैतृक पुष्तैनी व कब्जे काश्त उपयोग / उपभोग में बंटवाड़ा किये बिना दखलन्दांजी करने एवं अन्य किसी को बेचान, रहन अन्य हस्तानान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील सायला को सुना गया। बहस वकील सायलान ने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायला पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जबाब पेश करने तक गै0सा0 को विवादित आराजी की भूमि की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति (STATUS QUO) बनाये रखने हेतु जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा–खेड़ा महाराजपुरा, पटवार हल्का–फूलमाल, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 143 रकबा 2–10 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 07–18 बीघा, खसरा नम्बर 156 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 30–07 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 06–15 बीघा, खसरा नम्बर 151 रकबा 22–00 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 0–02 बीघा, कुल किता–10 कुल रकबा 92–10 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति (STATUS QUO) बनाये रखने बाबत् गै0सा0 को आगामी जबाब पेश करने तक के लिए पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 11 / 02 / 2015 को पेश हो।

नोटिस 11 8/1/2015

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

11-02-15 वकील सायलान उपस्थित
वकील मय सायलान सं0 1 व ... [illegible]

सायल सं० 1 माता सुशीला ने प्रा०पत्र पेश
कर मय वाद नाम चलाना नहीं चाहती है
आदेश निगरानी खारिज किये जाने की दरख्वास्त अ.नि. सुशीला
पर मय वाद आदेश निगरानी खारिज किया
जा चुका है।

लिहाजा हस्ब प्रा०पत्र वकील मय
सायल आदेश निगरानी उक्त प्रा०पत्र व सायल सं. 2 से 4
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल क जरिये कुदरती
शुमार होकर बाद से कम हो। बाद बलिया माता
[illegible] दाखिल दफ्तर। [illegible] सुशीला
तकमील [illegible] Adv.
जमा हो। ह० [illegible]

[illegible] Adv.
11/2/14